प्रेस नोट
दिनांक 15.07.2026

दिव्यांगजनों की सुरक्षा, सम्मान एवं सहायता के लिए गोण्डा पुलिस की विशेष पहल, सीपीयू टीम द्वारा गाँव गाँव पहुंचकर 46 दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनकर किया गया निस्तारण-

गोण्डा। अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा **दिव्यांगजनों** की सुरक्षा, सम्मान, सहायता एवं उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान सामाजिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में निवास करने वाले **दिव्यांगजनों** का चिन्हीकरण कर उनका विवरण संकलित किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक थाने की कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट (सीपीयू) गठित की गई है, जो नियमित रूप से दिव्यांगजनों से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जानकारी प्राप्त करेगी। अभियान के अंतर्गत **दिव्यांगजन रजिस्टर** तैयार किया गया है, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयु, दिव्यांगता का प्रकार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति सहित संपर्क से संबंधित आवश्यक विवरण अंकित किया जाएगा। सीपीयू टीम द्वारा प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिवसों (सोमवार, बुधवार एवं शनिवार) को दिव्यांगजनों से संपर्क स्थापित कर उनका कुशलक्षेम जाना जाएगा तथा **चिन्हित दिव्यांगजनों की व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्राप्त समस्याओं के आधार पर आवश्यकता अनुसार समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर उन्हें यथोचित सहायता, आवश्यक सुविधाएं एवं शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।** पुलिस अधीक्षक गोण्डा **श्री विनीत जायसवाल** द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं सीपीयू टीमों को निर्देशित किया गया है कि वे दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार अपनाते हुए नियमित संवाद स्थापित करें तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उक्त अभियान के क्रम में आज दिनांक **15.07.2026** को जनपदीय सीपीयू टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल **46 दिव्यांगजनों** से उनके आवास पर पहुंचकर संपर्क स्थापित किया गया। इनमें थाना कोतवाली नगर के 03, खरगूपुर के 02, इटियाथोक के 02, धानेपुर के 03, मोतीगंज के 04, मनकापुर के 03, छपिया के 10, खोड़ारे के 02, उमरी बेगमगंज के 01, वजीरगंज के 04, नवाबगंज के 01, कोतवाली कर्नलगंज के 02, कौड़िया के 02, परसपुर के 02, कटरा बाजार के 02 तथा महिला थाना के 02 दिव्यांगजन शामिल रहे। संपर्क अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा दिव्यांगजनों का कुशलक्षेम जाना गया तथा उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। साथ ही उन्हें सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करने हेतु जागरूक किया गया। गोण्डा पुलिस की इस जनहितकारी एवं संवेदनशील पहल की दिव्यांगजनों एवं उनके परिजनों द्वारा सराहना की गई तथा उन्होंने पुलिस के प्रति अपना विश्वास एवं संतोष व्यक्त किया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस- नोट
दिनांक 15.07.2026

'Cy-Vazra अभियान' के तहत साइबर फ्रॉड गिरोह के 02 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से रु0 1070/- नगद व 03 अदद मोबाइल फोन बरामद-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे प्रदेश व्यापी अभियान 'Cy-Vazra के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में साइबर अपराध से सम्बन्धित घटनाओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक दवाच्यॉ के पर्यवेक्षण में थाना इटियाथोक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 247/2026 धारा 318(4), 317(2) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट से सम्बन्धित 02 साइबर अपराधी अभियुक्तों 01. बाबूराम पुत्र लोटावन व 02. राहुल वर्मा पुत्र राम राखन को खिरौरा शाहबाजपुर से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कब्जे से रु0 1070/- नगद व 03 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

उ0नि0 कोमल प्रसाद यादव द्वारा थाना साइबर हेल्प डेस्क, इटियाथोक को एनसीआरपी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के परीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त बाबूराम के नाम से संचालित बैंक खाते एवं संबंधित मोबाइल नंबर का उपयोग साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि के लेन-देन हेतु **म्यूल बैंक खाते (Mule Bank Account)** के रूप में किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि उक्त बैंक खाते के विरुद्ध देश के विभिन्न राज्यों से साइबर धोखाधड़ी संबंधी शिकायतें दर्ज हैं। अभियुक्त ने अपने बैंक खाते का दुरुपयोग कर साइबर अपराधियों को अवैध धनराशि के हस्तांतरण एवं निकासी की सुविधा उपलब्ध कराई, जिससे साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिला तथा विभिन्न राज्यों के पीड़ितों को आर्थिक क्षति पहुँची। उ0नि0 के लिखित तहरीर के आधार पर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
जिसके क्रम में आज दिनांक 15.07.2026 को थाना कोतवाली इटियाथोक पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान पाए गए दोषी 02 आरोपी अभियुक्तों 01. बाबूराम पुत्र लोटावन व 02. राहुल वर्मा पुत्र राम राखन को खिरौरा शाहबाजपुर से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कब्जे से रु0 1070/- नगद व 03 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वे **साइबर अपराधियों** के कहने पर अपने बैंक खातों का उपयोग करते थे। उनके बैंक खातों में विभिन्न अज्ञात व्यक्तियों से धनराशि प्राप्त होती थी, जिसे वे बैंक अथवा एटीएम के माध्यम से नकद निकालकर संबंधित व्यक्तियों को सौंप देते थे। इस कार्य के बदले उन्हें प्रत्येक लेन-देन पर निर्धारित कमीशन प्राप्त होता था। वे कमीशन के लालच में अपने बैंक खातों का उपयोग साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि के लेन-देन हेतु म्यूल बैंक खाते (Mule Bank Account) के रूप में कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

01. बाबूराम पुत्र राम लोटावन निवासी बेलवा बहुता थाना इटियाथोक जनपद गोंडा
02. राहुल वर्मा पुत्र राम राखन निवासी बरडीहा थाना इटियाथोक जनपद गोंडा।

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 247/2026 धारा 318(4), 317(2) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी</u>

01. रू0- 1070/- नगद धनराशी
02. 03 अदद मोबाइल फोन बरामद

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम</u>

01. निरीक्षक अपराध श्री हरिश्चन्द्र भारती
02. उ0नि0 राजेश कुमार
03. हे0का0 सुनील त्रिपाठी

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस -नोट</u>
<u>दिनांक 15.07.2026</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा वामा सारथी के तत्वावधान में पुलिस लाइन में आयोजित HPV टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम में किया प्रतिभाग, पात्र बालिकाओं को निःशुल्क टीकाकरण हेतु किया गया प्रेरित</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा वामा सारथी के तत्वावधान में पुलिस लाइन सभागार में आयोजित **HPV (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम** में प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य 14–15 वर्ष आयु वर्ग की पात्र बालिकाओं को सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर से बचाव हेतु **निःशुल्क HPV टीकाकरण** के प्रति जागरूक करना था।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि **HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक सुरक्षित, प्रभावी एवं वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माध्यम है।** समय पर टीकाकरण कराकर इस गंभीर बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों से अपील की कि वे 14–15 वर्ष आयु वर्ग की पात्र बालिकाओं का समय से निःशुल्क HPV टीकाकरण अवश्य कराएं तथा अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें।

कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों द्वारा HPV संक्रमण, सर्वाइकल कैंसर के कारण, लक्षण, बचाव के उपाय एवं टीकाकरण के महत्व के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा उपस्थित जनों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 15.07.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व रूपये 25,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.09.2022 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत निवासी वादी द्वारा कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की शौच के लिए गयी थी की गाँव के विपक्षी नान बाबू शुक्ला अकेले देखकर जान मारने की धमकी देकर दुराचार किया तथा वाद में वीडियों बना लिया हूँ वायरल कर दूगां की धमकी देकर कई बार दुराचार किया। जिससे वादी के पुत्री की गर्भ ठहर गया। वादी की लिखित तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त 01. नानबाबू शुक्ला को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 13.11.202 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जिसके क्रम में थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत नाबालिग से दुराचार सम्बन्धी अपराध में आज दिनांक 15.07.2026 को अभियोजक श्री अशोक सिंह, थाना कोतवाली नगर के पैरोकार का0 दुर्गेश कुमार व कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रवीण आर्या के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 (पॉक्सो एक्ट) श्री निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त नानबाबू शुक्ला को दोषसिद्ध करते हुए अजीवन कारावास व रु0 25,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. नानबाबू शुक्ला पुत्र लक्ष्मी नरायन शुक्ला निवासी मोकलपुर मुसौली, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 731/2020, धारा 376, 506 भादवि 5(j)(ii)/6 पॉक्सो अधिनियम व 3(1)ब(1), 3(2)v SC/ST Act थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 15.0.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन रक्षा" अभियान के तहत स्पा सेंटर, मसाज पार्लर एवं होटलों में चलाया गया मानव तस्करी रोकथाम एवं जनजागरूकता अभियान

उत्तर प्रदेश शासन एवं अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार बच्चों के विरुद्ध दुर्व्यवहार संबंधी अपराधों की रोकथाम तथा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद गोण्डा में दिनांक 10 जुलाई से 24 जुलाई, 2026 तक 15 दिवसीय "ऑपरेशन रक्षा" विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 15.07.2026 को थाना एएचटीयू/एसजेपीयू, अपराजिता सामाजिक समिति एवं चाइल्ड हेल्पलाइन गोण्डा की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत स्पा सेंटर, मसाज पार्लर, होटल एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्पा सेंटर, मसाज पार्लर एवं होटल संचालकों के अभिलेखों का सत्यापन किया गया तथा कर्मचारियों की पहचान एवं अन्य आवश्यक विवरणों की जांच की गई। संचालकों को निर्देशित किया गया कि बिना वैध पहचान पत्र एवं आवश्यक अभिलेखों के किसी भी व्यक्ति को कार्य पर न रखें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दें। संयुक्त टीम द्वारा उपस्थित कर्मचारियों, संचालकों एवं आमजन को मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल यौन शोषण, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों तथा इनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि यदि किसी महिला, बालक अथवा बालिका के साथ शोषण, तस्करी अथवा किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। महिला हेल्पलाइन-1090, आपातकालीन सेवा-112, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर हेल्पलाइन-1930 सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई तथा पंपलेट वितरित कर लोगों को जागरूक किया गया। जनपद गोण्डा पुलिस महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। "ऑपरेशन रक्षा" अभियान के माध्यम से मानव तस्करी, बाल शोषण एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु जनजागरूकता एवं प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।